

ए.11018 / 04 / 2022-एम.एच.2 / एन.सी.डी.-1

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-1


निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 27 जूलाई, 2022

जन-सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में डिजाइनर और पैटर्न मैकर पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टैकहोल्डर, जन-सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी-1.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।



(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं 011-2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2022

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, डिजाइन (पैटर्न मैकर) 2001 को, जहाँ तक उनका संबंध डिजाइन (पैटर्न मैकर) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में डिजाइनर और पैटर्न मैकर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, डिजाइनर और पैटर्न मैकर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|------------------------|--|---|---|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| डिजाइनर और पैटर्न मैकर | 01*(एक) (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (35400-112400 रुपए) | चयन | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|---|
| सीधी भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं। | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | प्रोन्नति द्वारा जिसके न सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी) | <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में ऐसे वरिष्ठ अनुदेशक एवं सहायक ब्रैस मेकर (लेदर एवं फुटबियर) में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी ट्रेड, अर्थात् शू मैकिंग, और लेदर प्रौद्योगिकी में से किसी में डिग्री। 2. पुनर्वास सेटअप की प्रोस्थेटिक/ऑर्थोटिक वर्कशॉप में सर्जिकल ऑर्थोपेडिक अप्नाइएस के डिजाइन और पैटर्न मैकिंग का तीन वर्ष की अवधि का अनुभव। <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (पुनर्वास) - सदस्य; 3. प्रोफेसर (पीएमआर) - सदस्य; 4. प्रोफेसर (पी&ओ) - सदस्य। | लागू नहीं होता। |

[ए.11018/4/2022-एमएच II]

(धर्मिन्दर सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार